

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन

उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन -0141-2706069

rajssaquality@gmail.com

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/प्रबल/2026-27/

दिनांक

प्रबल कार्यक्रम

(Program to Recognize Abilities & Build up Adaptive Life Skills of 21st Century - PRABAL)

ब्लॉक एवं जिला स्तरीय गतिविधियों के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

परिचय-

प्रबल कार्यक्रम का उद्देश्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (पीएमश्री सहित) में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में 21 वीं सदी के कौशलों (जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन, नागरिकता आदि) का विकास करना है। यह एक **सीखने पर केंद्रित (Learning-Oriented)** कार्यक्रम है, जहाँ प्रतिस्पर्धा पर जोर देने के बजाय **सहयोग, अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Learning)** और **समग्र विकास** को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उद्देश्य ब्लॉक एवं जिला स्तर पर विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया में गतिविधियों को **सहज, रोचक और प्रभावी** ढंग से संचालित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।

गतिविधियों का स्वरूप (Non-Competitive, Learning-Focused Approach)

- गतिविधियाँ **सहभागिता (Participation)** और **सीखने (Learning)** पर केंद्रित होंगी न कि केवल चयन (Selection) पर।
- यद्यपि प्रत्येक विद्यालय से 2 विद्यार्थियों (एक छात्र एवं एक छात्रा) का चयन ब्लॉक स्तर के लिए किया जाएगा, लेकिन विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जायें।
- गतिविधियों को **समूह-आधारित (Group Activities)**, **चर्चा (Discussions)**, **भूमिका-निर्वाह (Role Plays)**, के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

गतिविधियों का संचालन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित 14 कौशलों थीम पर सत्रों का आयोजन किया जाना है -

- स्व-जागरूकता (Self-Awareness)
- सम्प्रेषण (Communication Skills)
- अंतर्वैयक्तिक संबंध (Empathy)
- टीम वर्क (Team work)
- समालोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking/)
- समस्या समाधान (Problem Solving)
- रचनात्मक चिंतन (Creativity)
- जुझारूपन (Resilience/ Coping with Stress)
- नेतृत्व कौशल (Leadership Skills)
- नागरिकता कौशल (Citizenship Skills)
- नैतिक मूल्य (Ethical Values)
- वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy)
- डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy)
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 10:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign



ब्लॉक स्तरीय संचालन प्रक्रिया

प्रबल कार्यक्रम के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन की कार्ययोजना निम्नानुसार होगी:

आयोजन स्थल	ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित PM SHRI विद्यालय
संभावित समय	ब्लॉक स्तर - अक्टूबर 2026 का प्रथम सप्ताह (एक दिवसीय)
संयोजक ब्लॉक स्तर	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा
सह संयोजक ब्लॉक स्तर	प्रधानाचार्य पी एम् श्री विद्यालय
कार्यक्रम प्रभारी	प्रभारी सन्दर्भ व्यक्ति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा
प्रस्तावित संभागी	कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से चयनित 2 विद्यार्थी (एक छात्र, एक छात्रा)
कार्यक्रम अवधि	अक्टूबर 2026 का प्रथम सप्ताह
निर्णायक दल /समिति	- सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEO - चयनित एक प्रधानाचार्य – Principal - चयनित एक व्याख्याता – Lecturer - चयनित एक छात्र एवं एक छात्रा - Boy + Girl Student

प्रक्रिया-

ब्लॉक पर आयोजित होने वाली गतिविधियाँ – विद्यालय स्तर से चयनित विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जानी है, जिनमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन एवं सहभागिता के स्तर के आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा जिला स्तर के लिए चयन (प्रत्येक ब्लॉक से एक छात्र एवं एक छात्रा) किया जायेगा। ब्लॉक पर भाग लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं प्रदर्शन के आधार पर वर्णित 3 प्रकार की गतिविधियों में से एक गतिविधि में भागीदारी करनी है –

- नाट्य प्रदर्शन** - इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को एक लघु नाटक (लगभग 10-15 मिनट का-आवश्यकतानुसार समय बढ़ा भी सकते हैं) प्रस्तुत करना होगा।
- भाषण /आशु भाषण** - निर्णायक मंडल द्वारा विषय वस्तु प्रदान की जायेगी, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 मिनट का समय दिया जायेगा तत्पश्चात दर्शकों के प्रश्नों पर 2-2 मिनट चर्चा की जायेगी।
- पैनल चर्चा / फोकस ग्रुप चर्चा** - इसके अंतर्गत प्रतिभागी विद्यार्थी, समूह में निर्णायक दल द्वारा दिए हुए विषय पर ग्रुप चर्चा /पैनल चर्चा करेंगे। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्णायको द्वारा एक विषय दिया जायेगा जिस पर अपने अपने विचार रखते हुए समूह चर्चा करनी है।

ब्लॉक पर आयोजित होने वाली गतिविधियाँ निम्न विषयों (थीमों) पर आधारित होंगी -

थीम 1: किशोर आयु में आधुनिकता, सोशल मीडिया एवं AI का प्रभाव: नैतिक एवं समाजिक मूल्यों का संरक्षण

थीम 2: आधुनिक, सार्वजनिक, विद्यार्थी परिवहन व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा : चुनौतियाँ एवं समाधान

थीम 3: राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार: सरकारी नौकरियाँ, निजी क्षेत्र एवं उद्यमिता में संतुलन की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति

थीम 4: स्वदेशी एवं स्थानीय उत्पाद: "वोकल फॉर लोकल" में युवाओं का योगदान एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता

थीम 5: हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य: स्वच्छ राजस्थान, हरित राजस्थान, जलवायु परिवर्तन और किशोर-किशोरियों की रचनात्मक भागीदारी

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 16:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

बजट प्रावधान –

क.स.	विवरण	कुल राशि (रूपयों में)
1	श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 1 छात्र एवं 1 छात्रा को पुरस्कार – स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन राशि। नोट – सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र (पुरस्कार राशि सीधे विजेताओं के खातों में हस्तान्तरित की जाए)	4000
2	प्रचार – प्रसार, बैनर	1000
3	कन्टिजेन्सी, फोटोग्राफी अभिलेख संधारण	2000
4	बैठक व्यवस्था माईक, मंच एवं टेन्ट इत्यादि	3000
5	चाय, जलपान एवं मध्याह्न भोजन	10000
योग		20000

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही हैं व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को पीएमश्री PRABANDH PORTAL पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार की गाइड लाईन एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

आवश्यक सामग्री –

- प्रमाणपत्र, स्टेशनरी, टेंट सामग्री, मंच सज्जा व स्वागत के लिए आवश्यक सामग्री
- कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों, प्रभासी शिक्षक, शिक्षिकाओं के लिए उचित बैठक व्यवस्था
- विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल, अल्पाहार, मध्याह्न भोजन
- निर्णयको के लिए आवश्यक प्रपत्र, विद्यार्थी प्रपत्र आदि
- प्राथमिक उपचार पेटिका

पूर्व तैयारी-

- स्थान का चयन
- निर्णायक मंडल का गठन
- अतिथियों को आमंत्रण/ अपने स्तर पर डिजिटल आमंत्रण भी तैयार किए जा सकते हैं।
- सभी विद्यालयों/विद्यार्थियों को पूर्व सूचना प्रेषित करना।
- कार्यक्रम में विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक/ शिक्षा विभागीय उच्च अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाये, परंतु यह ध्यान रखा जाए कि यह विद्यार्थियों का आयोजन है, उन्हें ज्यादा समय मिलना चाहिए।
- ब्लॉक में अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक के कार्यक्रम के लिए तय किए गए विद्यालयों के विद्यार्थी सहयोगी संपर्क सूत्र के रूप में सहयोग करने का कार्य करेंगे। इससे विद्यार्थियों में प्रबंधन एवं टीम वर्क का अभ्यास मिलता है। 2-2 विद्यार्थियों को 6-6 अतिथि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 16:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर पर होने प्रबल कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बाल सुरक्षा (Child Safeguard) सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना है -

ब्लॉक स्तर (Block Level)

यात्रा सुरक्षा: विद्यार्थियों को ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम में सहभागिता के लिए प्रभारी शिक्षक /शिक्षिका के साथ भिजवाया जाये। महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाये।

- विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त की जाये ।
- बालिकाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए महिला शिक्षक/स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें ।
- ब्लॉक स्तर पर सहभागिता हेतु भेजे जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के मोबाईल नंबर डायरी में नोट कर लें।

सुरक्षित वातावरण: प्रतियोगिता स्कूल परिसर या किसी सुरक्षित स्थान पर आयोजित की जाए जहाँ आवश्यक पेयजल , सुविधाएं व साफ सफाई सुनिश्चित हो ।

- ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक उपचार पेटिका की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये।
- आवास सुरक्षा (यदि रुकना पड़े): छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो और शिक्षकों की निगरानी रहे।
- साइबर सुरक्षा: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या डेटा शेयर करते समय विद्यार्थियों की निजता (Privacy) का ध्यान रखें।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ध्यान: दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
- सुझाव बॉक्स: कार्यक्रम के सन्दर्भ में फीडबैक प्राप्त करने के लिए आयोजन स्थल पर सहभागिता के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव /सुझाव हेतु सुझाव पेटिका रखवाई जाये तथा विद्यार्थियों को सुझाव लिखने हेतु प्रेरित किया जाये ।

प्रमाण पत्र /प्रशस्ति पत्र – कार्यक्रम आयोजन के दिवस ही समस्त गतिविधियाँ पूर्ण होने के उपरांत सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाये प्रमाण पत्रों का वितरण मुख्य अतिथियों के माध्यम से करवाया जाएँ जिससे विद्यार्थियों को अधिक मोटिवेशन मिल सकेगा ।

जिला स्तरीय संचालन प्रक्रिया

प्रबल कार्यक्रम के जिला स्तर क्रियान्वयन की कार्ययोजना निम्नानुसार होगी:

आयोजन स्थल	जिला मुख्यालय पर स्थित PM SHRI विद्यालय
संभावित समय	जिला स्तर - अक्टूबर 2026 का द्वितीय सप्ताह (2 दिवसीय)
संयोजक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा
सह संयोजक	प्रधानाचार्य पी एमश्री विद्यालय
कार्यक्रम प्रभारी	प्रभारी APC / PO अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, कार्यालय
प्रस्तावित संभागी	कक्षा 9 से 12 के प्रत्येक ब्लॉक से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयनित 2 विद्यार्थी (एक छात्र, एक छात्रा)
कार्यक्रम अवधि	अक्टूबर 2026 का द्वितीय सप्ताह
निर्णायक दल /समिति	• मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधिकारी – CDEO, समग्र शिक्षा • प्राचार्य (डाइट) – Principal DIET • अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक – ADPC • चयनित प्रधानाचार्य PMSHRI विद्यालय – Principal PM SHRI • चयनित एक छात्र एवं एक छात्रा - Boy + Girl Student

जिला स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यक्रम प्रक्रिया - ब्लॉक स्तर से चयनित विद्यार्थियों के लिए जिला स्तर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसमें प्रथम दिवस प्रतिभागियों को निर्धारित थीम पर तैयारी कराई

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 16:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

जायेगी एवं दूसरे दिन प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तर पर 3 प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जानी है, जिनमे विद्यार्थियों के प्रदर्शन एवं सहभागिता के स्तर के आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा अगले स्तर के लिए चयन (प्रत्येक जिले से 4 विद्यार्थी - 2 छात्र एवं 2 छात्राएं) किया जायेगा। जिला स्तर पर भाग लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं प्रदर्शन के आधार पर वर्णित 3 प्रकार की गतिविधियों में से एक गतिविधि में भागीदारी करनी है।

- **नाट्य प्रदर्शन** - इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को एक लघु नाटक (लगभग 10-15 मिनट का-आवश्यकतानुसार समय बढ़ा भी सकते हैं) प्रस्तुत करना होगा।
- **भाषण /आशु भाषण** - निर्णायक मंडल द्वारा विषय वस्तु प्रदान की जायेगी, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 मिनट का समय दिया जायेगा तत्पश्चात दर्शकों के प्रश्नों पर 2-2 मिनट चर्चा की जायेगी।
- **पैनल चर्चा / फोकस ग्रुप चर्चा** - इसके अंतर्गत विद्यार्थी समूह में निर्णायक समूह द्वारा दिए हुए विषय पर ग्रुप चर्चा /पैनल चर्चा करेंगे। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्णायक द्वारा एक विषय दिया जायेगा जिस पर अपने अपने विचार रखते हुए समूह चर्चा करनी है।

जिला स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियाँ निम्न विषयों (थीमों) पर आधारित होंगी -

थीम 1: किशोर आयु में आधुनिकता, सोशल मीडिया एवं AI का प्रभाव: नैतिक एवं समाजिक मूल्यों का संरक्षण

थीम 2: राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार: सरकारी नौकरियाँ, निजी क्षेत्र एवं उद्यमिता में संतुलन की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति

थीम 3: हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य: स्वच्छ राजस्थान, हरित राजस्थान, जलवायु परिवर्तन और किशोर-किशोरियों की रचनात्मक भागीदारी

नोट -राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु जिला स्तर पर चयनित 41x4=164 विद्यार्थियों की पूर्व तैयारी मेंटर्स शिक्षक के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर 5 दिवसीय कैम्प के आयोजन के माध्यम से की जाएगी।

बजट प्रावधान दृ

क.स.	विवरण	कुल राशि (रूपयों में)
1	श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 छात्र एवं 2 छात्रा को पुरस्कार — स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन राशि। नोट — सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र (पुरस्कार राशि सीधे विजेताओं के खातों में हस्तान्तरित की जाए)	15000
2	प्रचार — प्रसार, बैनर	3000
3	कन्टिजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियो ग्राफी एवं अभिलेख संधारण	8000
4	बैठक व्यवस्था माईक, मंच एवं टेन्ट इत्यादि	8000
5	चाय, जलपान, भोजन एवं आवास	36000
योग		70000

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही हैं व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को पीएमश्री PRABANDH PORTAL पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार की गाइड लाईन एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

आवश्यक सामग्री -

- प्रमाणपत्र, स्टेशनरी, टेंट सामग्री, मंच सज्जा व स्वागत के लिए आवश्यक सामग्री

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 16:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

- कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों, प्रभारी शिक्षक, शिक्षिकाओं के लिए उचित बैठक व्यवस्था
- विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल, अल्पाहार, मध्याह्न भोजन
- निर्णयों के लिए आवश्यक प्रपत्र, विद्यार्थी प्रपत्र आदि
- प्राथमिक उपचार पेटिका

पूर्व तैयारी-

- स्थान का चयन
- निर्णायक मंडल का गठन
- अतिथियों को आमंत्रण
- सभी विद्यालयों/विद्यार्थियों को पूर्व सूचना प्रेषित करना।
- कार्यक्रम में विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक/ शिक्षा विभागीय उच्च अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाये
- जिला स्तर पर अन्य ब्लॉकस् से आने वाले विद्यार्थियों के लिए जिले के कार्यक्रम के लिए तय किए गए विद्यालयों के विद्यार्थी सहयोगी संपर्क सूत्र के रूप में सहयोग करने का कार्य करेंगे।

नोट : वर्तमान में राज्य में 41 जिले हैं, सभी 41 जिलों से कुल 164 (प्रति जिला-4) विद्यार्थियों द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया जाना है। वर्तमान में राज्य में समग्र शिक्षा के SNA खाते पर 33 जिला कार्यालय ही मैप है। नवीन जिलों के विद्यार्थी (2 छात्र एवं 2 छात्राएँ) अपने मूल जिले में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अतः कुल 33 जिले समस्त 41 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 164 विद्यार्थियों का चयन कर (प्रति जिला 2 छात्र व 2 छात्रा, $41 \times 4 = 164$) राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे साथ ही कोटपुतली-बहरोड जिले के विद्यार्थियों जयपुर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।

मेंटर का चयन – जिला स्तर पर प्रबल कार्यक्रम में चयनित विद्यार्थियों की तैयारी एवं संबलन हेतु प्रत्येक जिले पर 01 मेंटर शिक्षक बनाया जाना है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु मेंटर शिक्षक को चयनित विद्यार्थियों (02 छात्र एवं 02 छात्राओं) के साथ एस्कोर्ट शिक्षक के रूप में भी भाग लिया जाना होगा। जिनका चयन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्न आधार पर तय किया जाना है -

- विधान सभा की कार्यप्रणाली की समझ रखने वाला व्याख्याता/शिक्षक
- जिला स्तर से चयनित किसी भी विद्यार्थी के विद्यालय का शिक्षक / शिक्षिका हो
- अभिव्यक्ति कौशल अच्छा हो
- विभागीय जाँच लंबित न हो
- सह शैक्षिक गतिविधियों में रूचि रखते हो

राजस्थान में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए **जिला स्तर** पर होने प्रबल कार्यक्रम के आयोजन के दौरान **बाल सुरक्षा (Child Safeguard)** सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना है-

- **यात्रा सुरक्षा:** विद्यार्थियों को जिला स्तर के कार्यक्रम में सहभागिता के लिए प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका के साथ भिजवाया जाये।
- विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।
- बालिकाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तो महिला शिक्षक/स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- जिला स्तर पर सहभागिता हेतु भेजे जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के मोबाईल नंबर डायरी में नोट कर ले।
- **सुरक्षित वातावरण:** प्रतियोगिता स्कूल परिसर या किसी सुरक्षित स्थान पर आयोजित की जाए जहाँ आवश्यक पेयजल, सुविधाएँ व साफ सफाई सुनिश्चित हो।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थल पर **प्राथमिक उपचार पेटिका** की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये

Signature valid

Digitally signed by Rashi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 10:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

- **आवास सुरक्षा (यदि रुकना पड़े):** छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो और शिक्षकों की निगरानी रहे।
- **साइबर सुरक्षा:** ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या डेटा शेयर करते समय विद्यार्थियों की निजता (Privacy) का ध्यान रखें।
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ध्यान:** दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

- **सुझाव बॉक्स:** कार्यक्रम के सन्दर्भ में फीडबैक प्राप्त करने के लिए आयोजन स्थल पर सहभागिता के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव /सुझाव हेतु सुझाव पेटिका रखवाई जाये तथा विद्यार्थियों को सुझाव लिखने हेतु प्रेरित किया जाये।

प्रमाण पत्र /प्रशस्ति पत्र – कार्यक्रम आयोजन के दिवस ही समस्त गतिविधियाँ पूर्ण होने के उपरांत सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाये। प्रमाण पत्रों का वितरण मुख्य अतिथियों के माध्यम से करवाया जाएँ जिससे विद्यार्थियों को अधिक मोटिवेशन मिल सकेगा।

विद्यार्थियों में 21 वीं सदी के कौशलों के संवर्धन के लिए विशेष रूप से विद्यालय स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियों हेतु दिशा - निर्देश (गतिविधि सुझाव)

प्रस्तावित गतिविधियों के थीम का विस्तृत विवरण **2026-27** प्रबल दिशा -निर्देश, प्रबल हैंडबुक (शालादर्पण पर साझा की गयी) और परिशिष्ट में संलग्न उपयोगी गतिविधि सामग्री का सन्दर्भ लेकर विद्यार्थियों के साथ विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का आयोजन किया जाना है।

- शिक्षक प्रबल कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें।
- उपलब्ध कराई गई प्रबल मार्गदर्शिका में वर्णित गतिविधियों को विद्यार्थियों के साथ नियमित रूप से करवाएँ तथा उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
- विद्यार्थियों में आवश्यक कौशलों के विकास हेतु प्रबल हैंडबुक में दी गई गतिविधियों एवं सुझावों का संदर्भ लेते हुए उपयुक्त गतिविधियों का चयन करें।
- गतिविधियों का संचालन विद्यार्थियों की आयु, कक्षा एवं सीखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोचक एवं सहभागितापूर्ण तरीके से करें।
- कार्यक्रम के अंतर्गत कराई गई गतिविधियों का उचित अभिलेख रखें तथा विद्यार्थियों की सहभागिता एवं कौशल-विकास की प्रगति का समय-समय पर अवलोकन करें।

कर्तव्य एवं दायित्व

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के रूप में -

- स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों की पहुँच विद्यालय स्तर तक सुनिश्चित करवाना तथा प्रबल कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त करना।
- विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम की SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाने हेतु प्रभावी मानिट्रिंग करना।
- मासिक समीक्षा बैठक में प्रबल कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करना।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करवाते हुए निर्देशानुसार प्रत्येक जिले से 4 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें राज्य स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 16:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

- विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षावार (कक्षा 9 से 12) के विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं जानें कि प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कौनसी गतिविधि चल रही है, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर के माध्यम से फीडबैक प्रदान करना।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर शिक्षकों का एक मेंटोर ग्रुप बनाना जो विद्यार्थियों की राज्य स्तर के कार्यक्रम की तैयारी हेतु अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान कर सके।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर की समस्त गतिविधियों का आयोजन संबंधित पीएमश्री विद्यालयों में करवाना।
- जिला स्तर पर मोक - विधानसभा सत्रों का आयोजन करवाना।
- राज्य स्तर की सहभागिता से पूर्व चयनित विद्यार्थियों के साथ मेंटर ग्रुप के सहयोग से 3 दिवसीय तैयारी शिविर का आयोजन सुनिश्चित करना।

डाइट प्रधानाचार्य के रूप में-

- जिले में प्रबल कार्यक्रम हेतु विद्यालय स्तर पर संबलन प्रदान करना।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं जानें कि प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कौनसी गतिविधि चल रही है, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें व समाधान हेतु रोल मोडलिंग करें।
- ब्लॉक स्तर के प्राप्त केस स्टडी को फाइनल कर राज्य स्तर पर प्रेषित करना। केस स्टडी का प्रारूप परिषद स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिला स्तर के कार्यक्रम में गतिविधियों के आयोजन हेतु संबलन प्रदान करें।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में-

- स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों की पहुँच विद्यालय स्तर तक सुनिश्चित करवाना तथा प्रबल कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त करना।
- विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम की SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाने हेतु प्रभावी मानिट्रिंग करना।
- मासिक समीक्षा बैठक में प्रबल कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करना।
- ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करवाते हुए निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें जिला स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं जानें कि प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कौनसी गतिविधि चल रही है, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर के माध्यम से फीडबैक प्रदान करना।
- ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का एक मेंटोर ग्रुप बनाना जो विद्यार्थियों की राज्य स्तर के कार्यक्रम की तैयारी हेतु अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान कर सके।
- ब्लॉक स्तर की समस्त गतिविधियों का आयोजन संबंधित पीएमश्री विद्यालयों में करवाना।

पीईईओ /UCEEO के रूप में

- परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों की मॉनिटरिंग करना।
- "प्रबल" कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करना एवं रणनीति तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना।
- परिक्षेत्र के विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम के SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाना।
- प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षण/ बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी दें।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 16:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

- रिपोर्टिंग फॉर्मेट/गूगल फॉर्म भरना ।
- व्हाट्स अप समूह बनाना एवं गतिविधियों के बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करना ।

संस्थाप्रधान के रूप में

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करना ।
- कार्यक्रम के आयोजन हेतु विद्यालय स्तरीय रणनीति तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना ।
- "प्रबल" कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षणों/ समीक्षात्मक बैठकों में भागीदारी करना ।
- प्रबल गतिविधियों के संचालन हेतु कक्षावार प्रभारी शिक्षक का नामित करना व नामित शिक्षकों के साथ बैठक कर सत्र संचालन की योजना बनाना ।
- विद्यालय स्तर पर सभी गतिविधियों के समयानुसार आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाते हुए कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।
- शिक्षकों से चर्चाकर सत्रों के लिए आवश्यक समय, स्थान एवं संसाधनों की उपलब्धता को समझना ।
- शिक्षकों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक चर्चा करना ।
- विद्यालय की चयनित प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए 2 विद्यार्थियों (1 छात्र + 1 छात्रा) की पहचान कर उन्हें ब्लॉक स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना ।
- सत्रों के आयोजन के पश्चात् शिक्षकों से रिपोर्टिंग फॉर्मेट/गूगल फॉर्म आवश्यक रूप से भरवाना ।
- सभी सत्र ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम से पूर्व पूरे हों यह आवश्यक नहीं है ।

शिक्षक के रूप में

- प्रबल कार्यक्रम के तहत सभी 14 थीम /विषयों पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के साथ निश्चित समयावधि में सत्रों का आयोजन करना ।
- सत्रों के आयोजन पूर्व शिक्षक हैण्ड बुक को पढ़कर व्यवस्थित तैयारी करना ।
- जीवन कौशल की गतिविधियों/सत्रों के दौरान सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना ।
- विद्यार्थियों के साथ जीवन कौशलों के सत्र लेने के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण मोड्यूल/हैंडबुक में दिए गए चरणों का आवश्यक रूप से फॉलो करें ।
- सत्रों के दौरान थीम से संबंधित विद्यार्थियों को अनुभवों को शेयर करने का अवसर उपलब्ध कराएँ ।
- समस्त गतिविधियों के आयोजन के तुरंत बाद गूगल फॉर्म को आवश्यक रूप से ऑनलाइन भरें ।
- सत्रों के फोटोज और वीडियो (शॉर्ट वीडियो) पीईईओ को आवश्यक रूप से शेयर करें ।
- सभी गतिविधियों के संचालन में गार्गी मंच की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें ।
- जीवन कौशल गतिविधियों के पश्चात् विद्यार्थियों को विभिन्न मंच उपलब्ध करवाएँ जहाँ वे अपने अनुभवों को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकें ।
- सत्रों के दौरान तैयार की गई सामग्री (चार्ट, पोस्टर, अनुभव लेखन, चित्र) को विद्यालय में चस्पा करें । (एक प्रबल वाल तैयार करें)
- विद्यालय स्तर से कुछ अच्छी केस स्टडी निर्धारित फॉर्मेट में विद्यालय में ,शिक्षकों व विद्यार्थियों के सहयोग से लिखा जाना सुनिश्चित करें ।
- प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित शिक्षकप्रशिक्षण/ बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी दें ।

मॉनिटरिंग एवं अभिलेख संधारण -

- विद्यालय, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा ।
- जिला स्तरीय कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रमुख प्रभारियों के माध्यम से की जायेगी ।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 16:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign

- विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर गतिविधि की मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं डाइट के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जायेंगी।
- प्रत्येक जिले से दो केस स्टडी जिला अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान ही साझा की जायेंगी। इस हेतु प्रत्येक जिले के डाइट से अधिकारियों को चयनित किया जायेगा, जो इस कार्य को पूर्ण कर गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को साझा करेंगे।
- प्रत्येक चरण पर अगले चरण के लिए विद्यार्थियों का चयन तय मानदंडों व प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो।
- प्रत्येक जिले से कुछ विद्यार्थियों, अध्यापकों के विडियो टेस्टीमोनियल, लिखित टेस्टीमोनियल व हाई रिजोल्यूशन फोटो (गतिविधि के विवरण के साथ) राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान साझा की जायेंगी।

सहयोगी संस्था के रूप में -

- प्रबल कार्यक्रम में सहयोगी संस्थाओं द्वारा अपने परियोजना क्षेत्र में आ रहे विद्यालयों में प्रबल गतिविधियों के संचालन हेतु संबलन करना
- विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों का अवलोकन कर दस्तावेजीकरण हेतु सहयोग करना।
- विद्यालय ब्लॉक, जिला स्तर के आयोजन की बेस्ट प्रैक्टिस के दस्तावेज /प्रतिवेदन/वीडियो तैयार कर राज्य स्तर पर प्रेषित करें।
- संस्थाएं ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर गतिविधियों के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/प्रबल/2026-27/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, रास्कूशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त, पीएमश्री, रास्कूशिप, जयपुर।
7. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा-निर्देश/SOP को समग्र शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
13. UCEE/PEEO समस्त।
14. समस्त प्रधानाचार्य, पीएमश्री विद्यालय।
15. कार्यालय प्रति।

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.09.29 10:40:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24752844

M e-Sign